

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-05 जनवरी, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1768/सा.-2/बारह-631/2022-23, दिनांक-23.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-03-गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-53.70 लाख (रूपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
08-कार्यालय व्यय	3.50
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	2.50
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	26.40
42-अन्य व्यय	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.40
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.40
योग-	53.70

(रूपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा तथा पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
- (3) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय 30प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, 30प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (5) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
- (6) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
- (7) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षक: 2403001020300 (गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	08 कार्यालय व्यय	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
2	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	26,40,000 (रुपये छब्बीस लाख चालीस हजार मात्र)
5	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,40,000 (रुपये चार लाख चालीस हजार मात्र)
7	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
8	015	2403001020300 गोवंश संरक्षण के अनुश्रवण एवं डाटा बेस हेतु सेन्ट्रल प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट का गठन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,40,000 (रुपये दस लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			53,70,000 (रुपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)
महायोग				53,70,000 (रुपये तिरपन लाख सत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-365-X-2022-23, दिनांक-04 जनवरी, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

विशेष सचिव।

पु0सं0-2/2023/2651(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(15)/2022 तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं संबंधित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।